दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 01.02.2021 को प्रकाशित खबर पर संक्षिप्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट

प्रकाशित खबर में वर्णित क्षैत्र हाथनोदा तहसील चौमू में वर्ष 1989 से 2011 की अवधि मे खनिज चेजा पत्थर के 24 व 1 खनन पटटा वर्ष 2020 में स्वीकृत होकर कुल 25 खनन पटटे प्रभाव में है।

प्रकाशित खबर में वर्णित ग्राम टोडी हरमाडा, तहसील आमेर में 34 एवं ग्राम बिलौची में खनिज चेजा पत्थर के 26 खनन पट्टे वर्ष 1989 से 2011 की अवधि में स्वीकृत होकर प्रभाव मे है तथा ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ 26 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभाव में है। इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्रो में खनिज चेजा पत्थर के 111 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभाव में है।

तहसील चोमू में गत वर्षो में अवैध खनन/निर्गमन के कुल 56 प्रकरण बनाये जाकर राशि रू0 37,22,956/– की वसूली की गई एवं 02 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई तथा तहसील आमेर में अवैध खनन/निर्गमन के कुल 103 प्रकरण बनाये जाकर राशि रू0 92,54,881/– की वसूली की गई एवं 05 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई एवं ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ में अवैध खनन/निर्गमन के कुल 32 प्रकरण बनाये जाकर राशि रू0 9,65,460/– की वसूली की गई एवं 03 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह उल्लेखनीय है कि राजधानी जयपुर में नेशनल हाईवे/मेट्रो रेल/रेल्वे/सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य सरकारी उपक्रमो द्वारा जारी कार्यादेशो में प्रयुक्त खनिज चेजा पत्थर के हेतु भी समय–समय पर उक्त क्षेत्रो में अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये गये है।

राजस्व विभाग, पुलिस व खान विभाग की संयुक्त रूप से व विभाग द्वारा भी क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु निगरानी की जाती है।

01/2/2021

(अखिल गुप्ता)
खनि अभियन्ता, जयपुर